अध्याय-5
क्षतिपूरक वनीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन

अध्याय-5

क्षतिपूरक वनीकरण गतिविधियों का कार्यान्वयन

क्षतिपूरक वनीकरण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्रभागीय वन अधिकारी (डी एफ ओ), सक्षम प्राधिकारी के नियमों, आदेशों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रभागों के सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। डी एफ ओ के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में संचालन की प्रभागीय योजना तैयार करना, बजट प्रावधान, प्रभागों में चल रहे समस्त तकनीकी कार्यों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना है अर्थात चिह्नीकरण, पातन, निराई-गुड़ाई संचालनों, वृक्षारोपण कार्यों, सड़कों, भवन और कुओं का निर्माण एवं विशेष मरम्मत तथा उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, वनों की बाहरी और आंतरिक सीमाओं का वार्षिक निरीक्षण करना है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधियों की प्राप्ति पर, राज्य प्राधिकरण को परियोजना समाप्ति के पश्चात एक वर्ष या दो उपजाऊ मौसमों की अवधि के भीतर, जैसा कि उचित समझा जाए वनरोपण की गतिविधियों को प्रारम्भ करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा अवधि (वर्ष 2019 से वर्ष 2022) के दौरान, 8,623.78 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण के कार्य संपादित कराए गए, जिसमें लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त क्षतिपूरक वनीकरण भूमि (3,377.63 हेक्टेयर) के सापेक्ष 1,192 हेक्टेयर में वृक्षारोपण तथा लेखापरीक्षा से पूर्व की अवधि से संबन्धित 7,431.78 हेक्टेयर दोनों सम्मिलित थे। यह देखते हुए कि धनराशि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा की गई थी, राज्य प्राधिकरण का यह दायित्व था कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर वनरोपण गतिविधियों को पूरा करना सुनिश्चित करें। मार्च 2022 तक, 7,640 हेक्टेयर[1] क्षतिपूरक वनीकरण भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण लंबित है। राज्य प्राधिकरण अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23 (2,415 हेक्टेयर), वर्ष 2023-24 (2,200 हेक्टेयर) और वर्ष 2024-25 (3,025 हेक्टेयर) में बैक-लॉग को पूरा करने की योजना बना रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान डी एफ ओ के स्तर पर देखी गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

---

[1] वर्ष 2015-16 तक: कुल बैक-लॉग 4,666.90 हेक्टेयर, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 के मध्य: बैक-लॉग 2,011.68 हेक्टेयर तथा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2021-22 के मध्य: बैक-लॉग 962.31 हेक्टेयर।

5.1 बर्ड डिफ़्लेक्टर्स का अभाव

हरिद्वार और नरेंद्र नगर प्रभागों की दो परियोजनाओं में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम ओ ई एफ एण्ड सी सी) ने निर्धारित किया (जनवरी 2021 और फरवरी 2022) कि उपयोगकर्ता एजेंसी को अपनी लागत पर उपयुक्त बर्ड डिफ़्लेक्टर्स उपलब्ध कराने चाहिए जिन्हें पक्षी को टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपरी कंडक्टर पर स्थापित किया जाना था, इसके अतिरिक्त, जंगली जानवरों को बिजली के झटके से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस बनाए रखना चाहिए। समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगकर्ता एजेंसी[2] ने दोनों परियोजनाओं में बर्ड डिफ़्लेक्टर्स स्थापित नहीं किये थे। तथापि, दोनों प्रभागों में आग लगने की घटनाएँ सामने आयीं।

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। नरेंद्र नगर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बर्ड डिफ़्लेक्टर्स की स्थापना अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरी होने के लिए निर्धारित है। इसी बीच, हरिद्वार प्रभाग में, संबन्धित उपयोगकर्ता एजेंसी को मार्च 2023 में एक पत्र जारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उत्तर स्वयं ही पुष्टि करते है कि दोनों परियोजनाओं में बर्ड डिफ़्लेक्टर अभी तक स्थापित किये जाने बाकी थे।

5.2 क्षतिपूरक वनीकरण में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि

कैम्पा दिशा-निर्देश 2009 के अनुसार, धनराशि प्राप्त होने के पश्चात, राज्य कैम्पा एक वर्ष या दो उपजाऊ मौसमों की अवधि के भीतर वनीकरण पूरा करेगा, जिसके लिए धनराशि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा की जाती है।

नमूना जाँच किये गये प्रभागों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 37 प्रकरणों[3] में अंतिम स्वीकृति मिलने के आठ वर्ष से अधिक समय के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण कार्य निष्पादित किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, क्षतिपूरक वनीकरण को करने में ₹ 11.54 करोड़[4] की लागत वृद्धि हुई।

---

[2] उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड।

[3] डी एफ ओ, चकराता: 7 प्रकरण, ₹ 64.06 लाख, हरिद्वार: 4 प्रकरण, ₹ 901.38 लाख, मसूरी: 4 प्रकरण ₹ 14.41 लाख, नरेंद्र नगर: 2 प्रकरण, ₹ 46.00 लाख, नैनीताल: 9 प्रकरण, ₹ 22.66 लाख, रुद्रप्रयाग: 5 प्रकरण, ₹ 12.85 लाख और टौंस (पुरोला): 6 प्रकरण, ₹ 93.02 लाख।

[4] उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण शुल्क के रूप में ₹ 15.15 करोड़ जमा किये हैं, परंतु वृक्षारोपण की निर्धारित दर में संशोधन के कारण, क्षतिपूरक वनीकरण करने में ₹ 26.69 करोड़ का व्यय हुआ।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2023) कि लागत वृद्धि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के नियम 6(क) के अनुसार राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के ब्याज घटक से पूरी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ब्याज घटक के अन्तर्गत लागत वृद्धि के प्रावधान वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित नहीं थे।

5.3 वृक्षारोपण की कम जीवितता

मार्च 2021 में राज्य वन विभाग को सौंपी गई वन अनुसंधान संस्थान (एफ आर आई) (तृतीय पक्ष) की रिपोर्ट के अनुसार, वृक्षारोपण का कुल औसत जीवितता *प्रतिशत* 33.51 *प्रतिशत* था जो अनिवार्य 60 से 65 *प्रतिशत* से कम है। नमूना जाँच किये गये तीन प्रभागों[5] में, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-20 के दौरान ₹ 22.08 लाख की लागत पर 21.28 हेक्टेयर भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया गया था। तथापि, निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन वृक्षारोपण स्थलों में जीवितता *प्रतिशत* बहुत कम था। कर्मचारियों ने अवगत कराया कि अधिकांश पौधे जीवित नहीं रहे क्योंकि क्षेत्र में बड़े चीड़ के वृक्षों की उपस्थिति थी, आवंटित भूमि का अधिकांश भाग तीव्र ढलान पर था, चट्टानी था और पालतू जानवरों और स्थानीय लोगों का वृक्षारोपण स्थलों पर लगातार आवागमन था, जैसा कि फोटोग्राफ में देखा जा सकता है।

स्थल: नैनीताल प्रभाग में ओडवास्कोट वृक्षारोपण

स्थल: पिथौरागढ़ प्रभाग में गणकोट वृक्षारोपण

[5] डी एफ ओ, नैनीताल: ओडवास्कोट, ₹ 3.83 लाख (2.68 हेक्टेयर), पिथौरागढ़: गौच और गणकोट, ₹ 9.65 लाख (13 हेक्टेयर) और रुद्रप्रयाग: रामपुर, ₹ 8.60 लाख (5.60 हेक्टेयर)।

उपरोक्त प्रकरणों से पता चलता है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त भूमि की चयन प्रक्रिया में प्रणालीगत लापरवाही थी जिसके परिणामस्वरूप खराब जीवितता रही।

5.4 वृक्षारोपण से पूर्व खराब अग्रिम मृदा कार्य

वृक्षारोपण की जीवितता अन्य बातों के साथ-साथ उचित अग्रिम मृदा कार्य पर निर्भर थी। तदनुसार, उत्तराखण्ड वृक्षारोपण संहिता[6] में अग्रिम मृदा कार्यों के लिए विस्तृत प्रावधान दिये गए हैं। समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नैनीताल प्रभाग में, वर्ष 2019-21 के दौरान 78.80 हेक्टेयर भूमि पर सड़क किनारे वृक्षारोपण, गैप फिलिंग और छोटी प्रजातियों के लिए अग्रिम मृदा कार्य किया गया था, परंतु आगामी वर्ष में कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया।
- अल्मोड़ा प्रभाग में कोसी पुनर्जीवन योजना के अन्तर्गत 185.50 हेक्टेयर पर अग्रिम मृदा कार्य और वृक्षारोपण एक साथ किया गया।

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। नैनीताल प्रभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया कि वृक्षारोपण गतिविधि के बजाय वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु मांग की गयी थी, इसलिए निधि का उपयोग नहीं किया गया। तथापि, बजट की प्रत्याशा में वृक्षारोपण का कार्य संपादित किया गया एवं इसे वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित किया जाना है। अग्रिम मृदा कार्य और वृक्षारोपण का कार्य एक साथ क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में अल्मोड़ा प्रभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया।

5.5 क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त भूमि का चयन

वृक्षारोपण के लिए भूमि चयन राजस्व विभाग की सहायता से डी एफ ओ का उत्तरदायित्व[7] है। नमूना जाँच किये गये प्रभागों के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि:

---

[6] उत्तराखण्ड वृक्षारोपण संहिता, 2006 के प्रस्तर 16 के अनुसार, अग्रिम मृदा कार्य में गड्ढे खोदना, खाई, दीवार या बाड़ लगाना सम्मिलित है। अग्रिम मृदा कार्य विगत वर्ष के नवंबर से फरवरी में किया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान, सर्दियों की बारिश के कारण मिट्टी नम रहती है और खुदाई करना आसान होता है। फरवरी तक काम पूरा करने के पश्चात, गड्ढे और खोदी गई मिट्टी के अपक्षय के लिए 3-4 महीने का समय भी मिल जाता है और अगले वर्ष वर्षा के मौसम अर्थात जुलाई से सितंबर में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

[7] डी एफ ओ भूमि की कानूनी स्थिति और क्षेत्र की उपयुक्तता जैसे स्थान, सर्वेक्षण या कक्ष या खसरा संख्या, क्षेत्र, और परिवर्तन के समय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिन्हित किये गये गैर-वन क्षेत्र या अवनत वन के प्रत्येक भूखंड के निकटवर्ती वन से दूरी को प्रमाणित करता है।

- पाँच प्रभागों में, 1,204.04 हेक्टेयर[8] भूमि क्षतिपूरक वनीकरण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। भूमि की अनुपयुक्तता से पता चलता है कि डी एफ ओ द्वारा प्रस्तुत उपयुक्तता के प्रमाण-पत्र गलत थे और भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना जारी किये गये थे। विभाग ने उनकी लापरवाही के लिए संबंधित डी एफ ओ के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।

  इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। प्रभागों ने उत्तर दिया कि तीव्र ढलानों, सघन वनों इत्यादि के कारण भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं थी।

- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के नियम 5(4)(ज) के अनुसार, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि की धनराशि का उपयोग उन मामलों में नहीं किया जाना चाहिए जहाँ राजस्व सृजन के लिए वृक्षों के व्यावसायिक पातन[9] से बने रिक्त स्थान पर वन में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण किया जाता है। तराई पूर्वी प्रभाग में, छः वृक्षारोपण कार्य[10], ₹ 14.55 लाख का व्यय करने के पश्चात, वृक्षों के व्यावसायिक पातन द्वारा बनाए गए रिक्त स्थान पर कार्यान्वित किये गये थे, इस प्रकार, उपरोक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों का उल्लंघन किया गया।

  इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। प्रभाग ने उत्तर दिया कि क्षेत्र में प्राकृतिक अवस्था प्रदान करने एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण का कार्य किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के अनुसार इस प्रकार के वृक्षारोपण व्यावसायिक पातन द्वारा बनाए गए रिक्त स्थान में किया जाना अनुमन्य नहीं था।

- चार प्रभागों[11] में, क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत 202.90 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण 40 *प्रतिशत* से अधिक क्राउन घनत्व वाले क्षेत्रों में अवनत वन के रूप

---

[8] डी एफ ओ, अल्मोड़ा: 30.90 हेक्टेयर, चकराता: 10.26 हेक्टेयर, हरिद्वार: 1,099.00 हेक्टेयर, पिथौरागढ़: 63.52 हेक्टेयर, और टोंस (पुरोला): 0.36 हेक्टेयर।

[9] कार्य योजना निर्धारण के अंतर्गत किया गया।

[10] कलेगा ब्लॉक कक्ष सं.-5, काकरा कक्ष सं. 4, 10, 12, कोटखारा दक्षिण ए-एन-1 और गोला-2 प्लॉट नंबर-4।

[11] डी एफ ओ, अल्मोड़ा (30.632 हेक्टेयर): ₹ 22.85 लाख, मसूरी (4.78 हेक्टेयर): ₹ 3.85 लाख, नैनीताल (56.44 हेक्टेयर): ₹ 47.82 लाख और रुद्रप्रयाग (111.05 हेक्टेयर): ₹ 121.68 लाख।

में किया गया था। वर्ष 2019-22 में ₹ 1.96 करोड़ के व्यय से अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य किये गए।

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। प्रभाग ने यह दावा किया कि भले ही कुल क्षेत्रफल का घनत्व 40 *प्रतिशत* से अधिक था, परन्तु चुने हुए स्थान (विशेष रुप से उपक्षेत्र) का घनत्व 40 *प्रतिशत* से कम था, जिसके कारण उसे वृक्षारोपण के लिए चयनित किया गया। तथापि, यह उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि कार्य योजना में निर्दिष्ट किया गया था कि विशेष उपक्षेत्र का घनत्व अधिकतम सीमा से अधिक था।

- हरिद्वार और नरेंद्र नगर प्रभागों में, प्रभागों द्वारा 11 क्षतिपूरक वनीकरण स्थलों को मनमाने ढंग से बदल कर क्षतिपूरक वनीकरण भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर ₹ 1.61 करोड़ का व्यय करके वृक्षारोपण किया गया। यह वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है (**तालिका-5.1**)।

तालिका-5.1: परिवर्तित स्थलों को दर्शाने वाला विवरण

प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	रेंज	उपलब्ध क्षतिपूरक वनीकरण स्थल	वास्तविक वृक्षारोपण स्थल	वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	व्यय की गई राशि (₹ में)
डी एफ ओ, हरिद्वार	2016-17	रसियाबड़	नालोवाला-7 (70 हेक्टेयर) नालोवाला (50 हेक्टेयर)	आमशॉट	11.00	6,97,249
	2017-18	रसियाबड़	नालोवाला (9 हेक्टेयर) नालोवाला (7 हेक्टेयर)	आमशॉट-1अ	10.00	14,42,399
	2017-18	रसियाबड़	नालोवाला (9 हेक्टेयर) नालोवाला (7 हेक्टेयर)	नालोवाला-3	20.00	18,75,862
	2020-21	श्यामपुर	अंजनी (20 हेक्टेयर)	गंगा-2	20.00	11,36,900
डी एफ ओ, नरेंद्र नगर	2019-20	माणिकनाथ	नैथाणा-7 (30 हेक्टेयर)	नैथाणा-3	10.00	11,60,977
	2019-20	माणिकनाथ	नैथाणा-7 (30 हेक्टेयर)	नैथाणा-8	20.00	23,21,953
	2020-21	कीर्तिनगर	नैथाणा-7 (40 हेक्टेयर)	नैथाणा-8	12.00	13,85,139
	2020-21	कीर्तिनगर	नैथाणा-7 (40 हेक्टेयर)	डुंडसीर-4अ	10.00	11,54,283
	2020-21	कीर्तिनगर	नैथाणा-7 (40 हेक्टेयर)	डुंडसीर-4अ	10.00	11,54,283
	2020-21	कीर्तिनगर	नैथाणा-7 (40 हेक्टेयर)	डुंडसीर-4अ	8.00	9,23,436
	2021-22	माणिकनाथ	वासुकी चाका (35.34 हेक्टेयर)	उमरान सिविल	24.15	28,01,864
योग					**155.15**	**1,60,54,345**

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, इसमें प्रभागों के उत्तर शामिल थे। हरिद्वार प्रभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा स्पष्ट किया कि भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अलग-अलग भू-खण्ड बनाकर वृक्षारोपण का कार्य संपादित किया। नरेंद्र नगर के प्रकरण में, घनत्व में वृद्धि के कारण प्रस्तावित स्थलों के स्थान पर अवनत भूमि के निकट वृक्षारोपण किया गया। उत्तर पुष्टि करते हैं कि प्रभागों ने वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से क्षतिपूरक वनीकरण स्थलों को बदल दिया।

इसके अतिरिक्त, 68 वृक्षारोपण स्थलों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण पर, लेखापरीक्षा ने 11 स्थलों (16 *प्रतिशत*) में अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण पाया। एक प्रकरण में, क्षतिपूरक वनीकरण के लिए परिवर्तित सिविल भूमि घने वन वाली, चट्टानी और बहुत तीव्र ढलान वाली पाई गयी, जहाँ वृक्षारोपण संभव नहीं था, जैसा कि फोटोग्राफ में देखा जा सकता है।

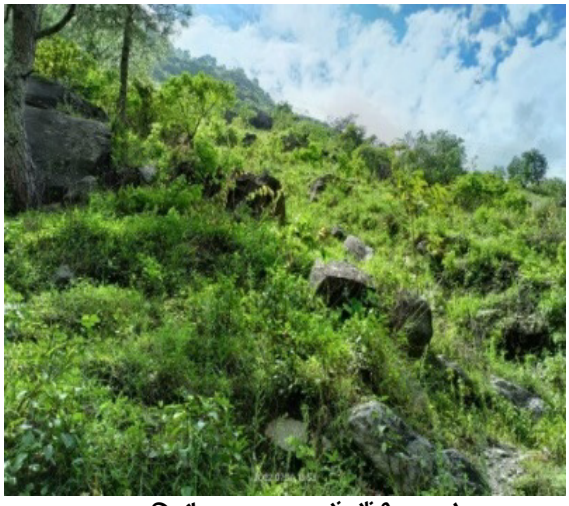

स्थल: पिथौरागढ़ प्रभाग में रौंथी वृक्षारोपण

स्थल: पिथौरागढ़ प्रभाग में चंद्रगांव वृक्षारोपण

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 6 के अनुसार, वन भूमि के परिवर्तन से पूर्व भूमि की उपयुक्तता की जाँच करना डी एफ ओ की जिम्मेदारी है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि डी एफ ओ द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र गलत थे और भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना निर्गत किये गये थे।

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, इसमें प्रभागों के उत्तरों को शामिल किया गया। प्रभागों द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि आवंटित भूमि में बहुत तीव्र ढलान, घने वन, आर्द्रभूमि इत्यादि थी, इसलिए, भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं थी।

5.6 वृक्षारोपण का खराब रख-रखाव

वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.8 (i) के अनुसार, गैर-वन भूमि (एन एफ एल)/ अवनत वन पर क्षतिपूरक वनीकरण के लिए, उपयोगकर्ता एजेंसी 10 वर्षों के लिए रख-रखाव सहित वृक्षारोपण की लागत जमा करेगी। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी अधिसूचित किया गया (नवम्बर 2017) कि वृक्षारोपण का रख-रखाव 10 वर्षों के लिए किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि यद्यपि वृक्षारोपण के रख-रखाव के लिए धनराशि उपयोगकर्ता एजेंसी से 10 वर्षों के लिए एकत्र की गई थी, परंतु वार्षिक कार्य योजना में निधियों का प्रावधान तथा वास्तविक व्यय मात्र तीन से पाँच वर्षों हेतु किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का संभावित अवरोधन/ विचलन[12] हुआ, जिसका उपयोग वृक्षारोपण की जीवितता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। प्रभागों में, लेखापरीक्षा ने आगे निम्नानुसार पाया:

- 12 चयनित प्रभागों में, वृक्षारोपण के तीन से पाँच वर्षों के पश्चात कोई भी रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

  जुलाई 2023 में, राज्य सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभागों को वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु आठ वर्षों के लिए निधियाँ आवंटित की गयी थी। तथापि, यह ध्यान में रखा गया कि प्रभागों को आदेश निर्गत करते हुए उन्हे 10 वर्षों की अवधि के लिए रख-रखाव सुनिश्चित करने का प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया था। यह प्रतिक्रिया अस्वीकार्य है क्योंकि प्रभागीय अभिलेख इंगित करते है कि वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु मात्र तीन से पाँच वर्षों का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2022 में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स ने वन पदाधिकारियों को वार्षिक कार्य योजना में रख-रखाव हेतु तीन वर्षों के सापेक्ष 10 वर्षों का प्रावधान सम्मिलित करने का निर्देश दिया। यह वृक्षारोपण के रख-रखाव हेतु 10 वर्षों हेतु उपयोगकर्ता एजेंसी से एकत्र की गयी निधियों के

[12] इस प्रकार, लेखापरीक्षा की तिथि तक, उपयोगकर्ता एजेंसी से कुल ₹ 49.46 करोड़ एकत्र किये गये, लेकिन रख-रखाव हेतु मात्र ₹ 24.93 करोड़ खर्च किये गये हैं। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक रख-रखाव की वास्तविक अवधि का यह मुद्दा न तो किसी प्रभाग और न ही प्राधिकरण द्वारा उठाया गया था। उपयोगकर्ता एजेंसी से एकत्रित ₹ 24.53 करोड़ की अधिक धनराशि राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि में पड़ी है।

अनुसार था, जैसा कि वन संरक्षण दिशा-निर्देशों के प्रस्तर 2.8 (iii-ई) में रेखांकित किया गया था।

- नरेन्द्र नगर प्रभाग में, वर्ष 2020-22 के दौरान, वृक्षारोपण के रख-रखाव पर ₹ 41.71 लाख का व्यय किया गया था। ये रख-रखाव के कार्य वृक्षारोपण वर्ष 2011-12 और वर्ष 2013-14 से संबंधित थे। विगत वर्षों में इस रख-रखाव के कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया था। वृक्षारोपण रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और सात वर्षों के अंतराल के पश्चात रख-रखाव कार्य राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का दुरुपयोग था।

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। स्थिति को स्वीकार करते हुए, प्रभाग ने उत्तर दिया कि प्रारम्भ में वृक्षारोपण के रख-रखाव का प्रावधान तीन वर्षों तक सीमित था। तत्पश्चात, अप्रैल 2020 से संशोधित दरों की अनुसूची के अनुरुप, वृक्षारोपण के रख-रखाव की अवधि को आठ वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। परिणामस्वरूप, तदनुसार विगत वर्षों से वृक्षारोपण के रख-रखाव की गतिविधियाँ संपादित की गयी थीं। उत्तर स्वयं इंगित करता है कि रख-रखाव करना प्राथमिक चिंता का विषय नहीं था बल्कि अवमुक्त निधियों का उपयोग करना था।

5.7 क्षतिपूरक वनीकरण भूमि में दोहरेपन के कारण संदिग्ध व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो वन प्रभागों में सिविल भूमि को व्यपवर्तित वन भूमि के सापेक्ष दो बार दाखिल-खारिज किया गया था जैसा कि नीचे **तालिका-5.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-5.2: क्षतिपूरक वनीकरण भूमि में दोहरेपन का विवरण

प्रभाग का नाम	प्रस्ताव संख्या	मार्ग का नाम	उपयोगकर्ता एजेंसी	वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्राप्त सिविल भूमि			क्षतिपूरक वनीकरण में व्यय की गई धनराशि (₹ में)
					ग्राम	खसरा सं	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
डी एफ ओ, टोंस (पुरोला)	16964/2015 और 16974/ 2015	आराकोट-कलीच-डामटी	पी डब्ल्यू डी	10.17	थुनारा	1779	6.36	19,22,646
						1781	0.20	
						1783	16.34	
	23116/2016	आराकोट भुटाणु	पी एम जी एस वाई	8.30	थुनारा	1783	16.34	16,03,172
						1624	0.26	
डी एफ ओ, बद्रीनाथ	17793/2016	मनमती-चोटिंग से झालिया	पी डब्ल्यू डी	15.08	उदयपुर	536	7.47	
						556	0.92	
						558	7.15	
						628	14.60	

प्रभाग का नाम	प्रस्ताव संख्या	मार्ग का नाम	उपयोगकर्ता एजेंसी	वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्राप्त सिविल भूमि			क्षतिपूरक वनीकरण में व्यय की गई धनराशि (₹ में)
					ग्राम	खसरा सं	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
	46488/2020	चोटिंग से उदयपुर लग्गा	पी एम जी एस वाई	4.41	उदयपुर	536	7.47	
						576	1.35	

स्रोतः नोडल अधिकारी एवं डी एफ ओ टोंस (पुरोला) से प्राप्त सूचना।

इसके अतिरिक्त, प्रभागीय वन अधिकारी (डी एफ ओ), टोंस (पुरोला) ने वर्ष 2020-21 के दौरान एक ही भूमि पर दो बार क्षतिपूरक वनीकरण कार्य को निष्पादित किया। यह ₹ 15.78 लाख[13] के संदिग्ध व्यय का प्रकरण था और इसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा आगे की जाँच की आवश्यकता थी। इस मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया, तथापि, बहिर्गमन गोष्ठी में यह सूचित किया गया था कि जाँच की जायेगी तथा तदनुसार संबन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने (मई 2022) के पश्चात, डी एफ ओ, बद्रीनाथ ने तथ्यों की पुष्टि की और सूचित किया (जुलाई 2022) कि प्रस्ताव संख्या 46488/2020 के एवज में गैर-वन भूमि (एन एफ एल) पर क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य प्रभाग द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था और उपयोगकर्ता एजेंसी को निर्देश दिया गया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक कार्य बंद कर दिया जाए।

5.8 प्राप्त क्षतिपूरक वनीकरण भूमि के सापेक्ष अधिक वृक्षारोपण पर अनधिकृत व्यय

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम की धारा 6 (ए) के अनुसार, क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण कार्य वन भूमि के व्यपवर्तन के बदले प्राप्त स्थल पर स्थल विशिष्ट कार्य है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार प्रकरणों में से, हरिद्वार प्रभाग को मात्र दो प्रकरणों (31.0 हेक्टेयर) में व्यपवर्तित वन भूमि के एवज में अवनत वन भूमि प्राप्त हुई और शेष दो प्रकरणों में प्रभाग को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए कोई भूमि प्राप्त नहीं हुई। तथापि, विभाग ने मनमाने ढंग से दो गैर-अनुमोदित भूमि स्थलों पर वृक्षारोपण किया और अतिरिक्त क्षेत्र में भी वृक्षारोपण क्रियान्वित किया। प्रभाग ने ₹ 34.66 लाख के स्थान पर ₹ 222.83 लाख का व्यय किया, जैसा कि

[13] 16.344 हेक्टेयर x ₹ 96,577 प्रति हेक्टेयर (₹ 16,03,172/16.6 हेक्टेयर)।

तालिका-5.3 में इंगित किया गया है। गैर-अनुमोदित स्थल 189.00 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण को क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

तालिका-5.3: अधिक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

प्रभाग का नाम	वृक्षारोपण का वर्ष	रेंज	उपलब्ध क्षतिपूरक वनीकरण स्थल	वास्तविक वृक्षारोपण स्थल	व्यय धनराशि	अनुमन्य व्यय	अस्वीकार्य व्यय
डी एफ ओ, हरिद्वार	2021-22	रसियाबड़	नालोवाला-7 (16 हेक्टेयर)	नलोवाला 7अ -70 हेक्टेयर	73.38	16.77	56.61
	2017-18	हरिद्वार	पटरी (0 हेक्टेयर)	पटरी - 20 हेक्टेयर	22.11	0	22.11
	2021-22	हरिद्वार	पटरी (0 हेक्टेयर)	पटरी - 100 हेक्टेयर	91.56	0	91.56
	2018-19	लक्सर	शेरपुर (15 हेक्टेयर)	शेरपुर -30 हेक्टेयर	35.78	17.89	17.89
योग					**222.83**	**34.66**	**188.17**

इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। प्रभाग ने उत्तर दिया कि वृक्षारोपण का कार्य चयनित स्थलों पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य उन स्थलों पर कार्यान्वित कराया गया जो क्षतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नहीं किये गये थे। इस प्रकार, प्रभाग ने उन स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु ₹ 1.88 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया जो क्षतिपूरक वनीकरण स्थलों के अंतर्गत आच्छादित नहीं थे।

5.9 सूचित किये गये क्षेत्र से कम क्षेत्र में वृक्षारोपण के कारण संदिग्ध व्यय

संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 43.95 हेक्टेयर वृक्षारोपण के सापेक्ष मात्र 23.82 हेक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र उपलब्ध[14] था, जो कि वर्ष 2017-21 के दौरान पाँच प्रभागों में छः स्थलों पर संपादित किया गया था। इस प्रकार, प्रभाग के अभिलेखों में ₹ 18.77 लाख के व्यय के साथ 20.13 हेक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र को अधिक दर्शाया गया था।

[14] लेखापरीक्षा ने वन विभाग के पदाधिकारियों की उपस्थिति में जी पी एस उपकरण का उपयोग करके वृक्षारोपण क्षेत्र को मापा।

प्रभाग का नाम : नैनीताल **वृक्षारोपण वर्ष : 2019-20** **प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार: 2.68 हेक्टेयर** **भौतिक निरीक्षण के अनुसार :1.35 हेक्टेयर** **आधिक्य व्यय : ₹ 1.90 लाख**	 **वृक्षारोपण स्थल : ओडवास्कोट सिविल**
प्रभाग का नाम : अल्मोड़ा **वृक्षारोपण वर्ष : 2017-18** **प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार: 6.00 हेक्टेयर** **भौतिक निरीक्षण के अनुसार: 2.55 हेक्टेयर** **आधिक्य व्यय : ₹ 5.47 लाख**	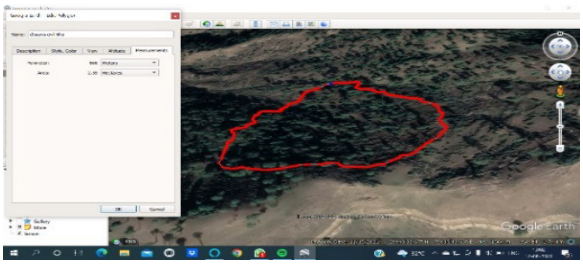 **वृक्षारोपण स्थल : चौना सिविल**
प्रभाग का नाम : मसूरी **वृक्षारोपण वर्ष : 2020-21** **प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार: 1.56 हेक्टेयर** **भौतिक निरीक्षण के अनुसार: 0.74 हेक्टेयर** **आधिक्य व्यय : ₹ 1.03 लाख**	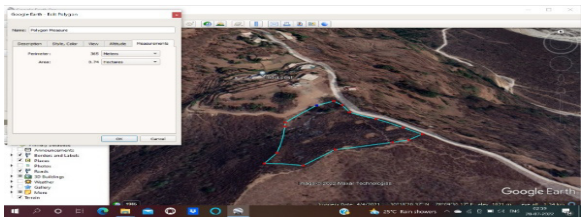 **वृक्षारोपण स्थल : अखण्डवानी भिलंग**
प्रभाग का नाम : मसूरी **वृक्षारोपण वर्ष : 2018-19** **प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार : 10.00 हेक्टेयर** **भौतिक निरीक्षण के अनुसार: 8.68 हेक्टेयर** **आधिक्य व्यय : ₹ 1.45 लाख**	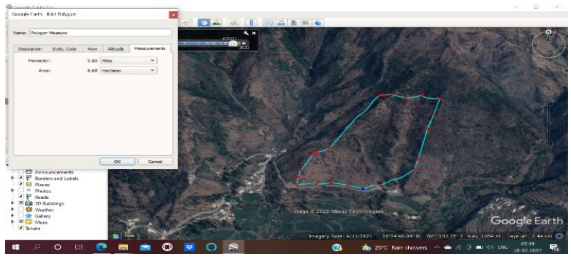 **वृक्षारोपण साइट: क्यारा सिविल**
प्रभाग का नाम: रुद्रप्रयाग **वृक्षारोपण वर्ष: 2017-18** **प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार: 5.60 हेक्टेयर** **भौतिक निरीक्षण के अनुसार: 2.00 हेक्टेयर** **आधिक्य व्यय : ₹ 5.53 लाख**	 **वृक्षारोपण स्थल : रामपुर सिविल**
प्रभाग का नाम : चकराता **वृक्षारोपण वर्ष : 2021-22** **प्रभागीय अभिलेखों के अनुसार: 18.11 हेक्टेयर** **भौतिक निरीक्षण के अनुसार: 8.50 हेक्टेयर** **आधिक्य व्यय : ₹ 3.39 लाख**	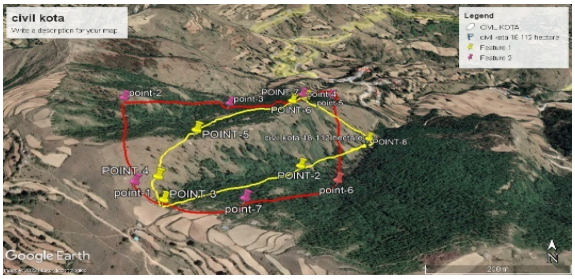 **वृक्षारोपण स्थल : कोटा सिविल**

5.10 ₹ 1.87 करोड़ का अतिरिक्त भार

भारत सरकार की अधिसूचना[15] (जून 2017) में उल्लेख किया गया है कि वानिकी कार्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) से छूट दी गई थी।

नमूना जाँच किये गये प्रभागों[16] के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रभाग ने वर्ष 2019-22 के दौरान जी एस टी दावों के रूप में ठेकेदार को ₹ 1.87 करोड़ की राशि का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप, प्रभाग/सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा क्योंकि वानिकी कार्यों को जी एस टी से छूट दी गई थी।

राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023); इसके स्थान पर, प्रभागों की प्रतिक्रियाओं को संलग्न किया। प्रभागों ने उत्तर दिया कि नियमों में अस्पष्टता तथा जी एस टी को दरों की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के कारण, जी एस टी की कटौती की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वानिकी कार्यों को जी एस टी अधिनियम के अन्तर्गत छूट दी गई थी और संबन्धित वृत्त द्वारा नये दरों की अनुसूची में वानिकी कार्यों के लिए जी एस टी का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

5.11 निष्कर्ष

क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब, कम जीवितता प्रतिशत, विलम्ब के कारण लागत वृद्धि, वृक्षारोपण से पूर्व खराब अग्रिम मृदा कार्य, स्थल के चयन में लापरवाही तथा अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण जैसे प्रकरणों के कारण योजना अप्रभावी थी। वृक्षारोपण के रख-रखाव में कमी थी क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसी से 10 वर्षों हेतु निधियाँ एकत्र की गयी थी परंतु रख-रखाव मात्र तीन से पाँच वर्षों तक किया गया। भूमि के एक ही भाग में क्षतिपूरक वनीकरण में दोहरापन होने, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध भूमि के सापेक्ष अनधिकृत अतिरिक्त वृक्षारोपण तथा सूचित किये गये क्षेत्र से कम क्षेत्र में वृक्षारोपण के कारण संदेहास्पद व्यय हुआ था। वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण समयबद्ध रूप से क्षतिपूरक वनीकरण में वृद्धि नहीं की जा सकी।

5.12 अनुशंसाएँ

- ***विभाग द्वारा उन संबन्धित क्षेत्र के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो कैम्पा के अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे;***

---

[15] दिसम्बर 2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017।

[16] डी एफ ओ, नैनीताल: ₹ 0.30 करोड़ और तराई पूर्वी, हल्द्वानी: ₹ 1.57 करोड़।

- *विभाग, कैम्पा गतिविधियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित कर उन पर ध्यान केन्द्रित कर सके तथा कैम्पा गतिविधियों को शीघ्रता से पूरा करने के प्रयासों को भी तेज कर सके;*
- *अनुश्रवण एवं मूल्यांकन शाखा, तृतीय पक्ष मूल्यांकन, बेहतर दस्तावेजीकरण, जिओ टैगिंग इत्यादि के माध्यम से एन पी वी गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना चाहिए।*